



भारतीय वदित सेवा (आईएफएस)

भारतीय वदित मंत्रालय के कार्यों के संचालन के लिये एक वशिष सेवा वर्ग का नरिमाण कयिा गया है जसिे भारतीय वदित सेवा (Indian Foreign Service-IFS) कहते हैं। यह भारत के पेशेवर राजनयकिों का एक नकिया है। यह सेवा भारत सरकार की केंद्रीय सेवाओं का हसििसा है। भारत के वदित सचवि, भारतीय वदित सेवा के प्रशासनकि प्रमुख होते हैं। यह सेवा अब संभ्रान्त परिवारों, राजा-रजवाड़ों, सैनकि अफसरों आदतिक ही सीमति न रहकर सभी के लयि खुल गई है। सामान्य नागरकि भी अपनी योग्यता और शकिषा के आधार पर इस सेवा का हसििसा बन सकता है।

चयन प्रकरयिा:

- भारतीय वदित सेवा में चयन प्रत्येक वर्ष संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजति 'सविलि सेवा परीक्षा' के द्वारा होता है।
- सविलि सेवा परीक्षा में अंतमि रूप से चयनति अभ्यर्थयिों को उनके द्वारा प्राप्त कुल अंकों और उनके द्वारा दी गई सेवा वरीयता के अनुसार ही पदों का आवंटन कयिा जाता है।
- इस सेवा के साथ अनेक चुनौतयिाँ और उत्तरदायतिव जुड़े हुए हैं, इसलयि संघ लोक सेवा आयोग इस सेवा के लयि ऐसे अभ्यर्थयिों का ही चुनाव करता है जो इस सेवा के अनुकूल हों।
- हाल के वर्षों में भारतीय वदित सेवा में प्रतर्वर्ष लगभग 20 व्यक्तयिों को नयुक्ति कयिा जाता है। सेवा की वर्तमान कैडर संख्या लगभग 600 अधिकारयिों की है, जनिमें लगभग 162 अधिकारी वदिशों में भारतीय मशिण एवं देश में वदिशी मामलों के मंत्रालय में वभिनिन पदों पर आसीन हैं।

शैक्षकि योग्यता:

- उम्मीदवार को कसिी मान्यता प्राप्त वशि्वविद्यालय/ संस्थान से स्नातक (Graduate) होना अनविर्य है।

प्रशकिषण:

- भारतीय वदित सेवा के लयि चयनति नए सदस्यों को तीन वर्षीय (36 महीनों की अवधि) महत्त्वपूर्ण प्रशकिषण कार्यक्रम से होकर गुजरना पड़ता है। यह प्रशकिषण नमिनलिखति चरणों में संपन्न होता है-
 1. आधारभूत प्रशकिषण - 4 माह (राष्ट्रीय अकादमी, मसूरी में)
 2. व्यावसायकि प्रशकिषण - 12 माह (ज़िला कार्यालय और अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल, नई दल्लि में)
 3. व्यावहारकि प्रशकिषण - 6 माह (वदिश मन्त्रालय के अंतर्गत)
 4. परविक्षा प्रशकिषण - 14 माह (वदिश स्थति उच्चायुक्त/दूतावास में)
- सर्वप्रथम इन प्रशकिषु अधिकारयिों को 'लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी' में 4 माह का आधारभूत प्रशकिषण दयिा जाता है, जहाँ कई अन्य वशिषिट भारतीय सविलि सेवा संगठनों के सदस्यों को भी प्रशकिषति कयिा जाता है।
- नए सदस्य एक परविक्षा अवधि से गुजरते हैं, इस दौरान इन्हें परविक्षार्थी (प्रोबेशनर) कहा जाता है।
- लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनकि अकादमी का प्रशकिषण पूरा करने के बाद परविक्षार्थी आगे के प्रशकिषण के साथ-साथ वभिनिन सरकारी नकियायों के साथ संलग्न होने और भारत एवं वदिश में भ्रमण के लयि नई दल्लि स्थति 'वदिश सेवा संस्थान' में दाखलि लेते हैं।
- इन प्रशकिषु अधिकारयिों को 'इंडयिन स्कूल ऑफ इण्टरनेशनल स्टडीज़, नई दल्लि' में 4 माह का वदिश नीति तथा कार्य-प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रीय संबंध तथा भाषा की जानकारी का प्रशकिषण दयिा जाता है।
- इसके पश्चात् प्रशकिषु अधिकारयिों को 6 माह के लयि कसिी ज़िला प्रशासन से संलग्न कयिा जाता है ताकि ये दायतिव के व्यावहारकि सम्पर्क में आने के योग्य हो जाएँ। साथ ही, इन्हें कुछ समय के लयि वदिश मन्त्रालय के सचविालय में भी प्रशकिषण प्रदान कयिा जाता है।
- आईएफएस के लयि प्रशकिषण कार्यक्रम में भाषाओं (हिन्दी तथा एक वदिशी भाषा) और ऐसे वषियों के अध्ययन पर बल दयिा जाता है जनिका ज्ञान प्राप्त करना एक आईएफएस अधिकारी के लयि आवश्यक समझा जाता है।
- नए सदस्यों को कुछ दनिों के लयि सेना की यूनिट में तथा 'भारत दर्शन' के लयि भी भेजा जाता है।
- प्रशकिषण कार्यक्रम के समापन पर अधिकारी को अनविर्य रूप से एक वदिशी भाषा (Context Free Language - CFL) सीखने का जमिमा दयिा जाता है।
- एक संक्षिप्त अवधतिक वदिश मन्त्रालय के साथ संलग्न रहने के बाद अधिकारी को वदिश में एक भारतीय राजनयकि मशिण पर नयुक्ति कयिा जाता है जहाँ की स्थानीय भाषा 'सीएफएल' हो। वहाँ अधिकारी भाषा का प्रशकिषण प्राप्त करते हैं और फरि इनसे सीएफएल में दक्षता प्राप्त करने और एक परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जाती है, उसके बाद ही इन्हें सेवा में बने रहने की अनुमति दी जाती है।

नयुक्त एवं पदोन्नति:

- आईएफएस अधिकारियों की नयुक्ति सामान्यतः दूतावास, वाणजिय दूतावास एवं वदिश मंत्रालय में की जाती है।
- ये वदिशों में अपनी सेवा तृतीय सचिव के तौर पर आरंभ करते हैं और सेवा में स्थायी होते ही द्वितीय सचिव के पद पर परोन्नत कर दिये जाते हैं।
- आईएफएस अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ पदस्थापना राजदूत या वदिश सचिव के रूप में होती है। इनका पदक्रम इस प्रकार है-
- **दूतावास में:**
 - तृतीय सचिव (प्रवेश स्तर)
 - द्वितीय सचिव (सेवा में पुष्टि के बाद पदोन्नति)
 - प्रथम सचिव
 - सलाहकार
 - मशिन के उपाध्यक्ष/ उप उच्चायुक्त/ उप स्थायी प्रतिनिधि
 - राजदूत/उच्चायुक्त/स्थायी प्रतिनिधि
- **वाणजिय दूतावास में:**
 - उप वाणजिय दूत (Vice Consul)
 - वाणजिय दूत (Consul)
 - महावाणजिय दूत (Consul-General)
- **वदिश मंत्रालय में:**
 - अवर सचिव (Upper Secretary)
 - उप सचिव (Deputy Secretary)
 - नदिशक (Director)
 - संयुक्त सचिव (Joint Secretary)
 - अतिरिक्त सचिव (Additional Secretary)
 - सचिव (Secretary)

कार्य:

- वृत्तकि (Professional) राजनयिक के तौर पर आईएफएस अधिकारी से यह आशा की जाती है कि वह विभिन्न मुद्दों पर देश और वदिश दोनों में भारत के हितों का ध्यान रखेगा और इसे आगे बढ़ाएगा। इनमें द्विपक्षीय राजनीतिक और आर्थिक सहयोग, व्यापार और निवेश संवर्धन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, प्रेस और मीडिया संपर्क तथा सभी बहुपक्षीय मुद्दों शामिल हैं।
- आईएफएस अधिकारी मुख्यतः देश के बाह्य मामलों जैसे- कूटनीति, व्यापार, सांस्कृतिक संबंधों, प्रवास संबंधित मामलों आदि से संबंधित कार्यों को संपादित करते हैं।
- ये भारत की वदिश नीति के निर्माण तथा क्रियान्वयन में संलग्न रहते हैं।
- ये अपने दूतावासों, उच्चायोगों और संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय संगठनों के स्थायी मशिनों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- नयुक्त किये जाने वाले देश में भारत के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है।
- अनवासी भारतीयों और भारतीय मूल के व्यक्तियों सहित मेज़बान राष्ट्र और उसकी जनता के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने में इनकी मुख्य भूमिका होती है।
- ये वदिश में उन घटनाक्रमों की सही-सही जानकारी देते हैं, जो भारत के नीति-निर्माण को प्रभावित कर सकती हैं।
- मेज़बान राष्ट्र के प्राधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर समझौता-वार्ता करने की ज़िम्मेदारी भी इन्हीं की होती है।
- वदिश मंत्रालय, भारत के वदिश संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं के लिये उत्तरदायी है। क्षेत्रीय प्रभाग, द्विपक्षीय राजनीतिक और आर्थिक कार्य देखते हैं, जबकि क्रियात्मक प्रभाग, नीति-नियोजन, बहुपक्षीय संगठनों, क्षेत्रीय दलों, वधिकि मामलों, निःशस्त्रीकरण, नवाचार, भारतीय डायस्पोरा, प्रेस और प्रचार, प्रशासन तथा अन्य कार्यों को देखते हैं।